न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आरएएस

प्रकरण सं. 82 / 14 / अपील

तुलसीदेवी पत्नी स्व. घीसाराम आयु 89 वर्ष जाति जाट नि0 कुली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

—अपीलार्थीनी

ब नाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, कुली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
2. नानची देवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट नि0 ग्राम कुली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
3. पटवारी, पटवार हल्का, कुली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

—रेस्पोंडेंट्स

अपील विरूद्ध ना.करण सं. 264 दिनांक 20.10.2003
बतस्दीक ग्राम पंचायत, कुली

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्रपाल धायल, वकील अपीलार्थीनी की ओर से
2. श्री हरदेवाराम सुण्डा, रेस्पो. सं0 2 की ओर से

<u>निर्णय</u> दिनांक— 27.11.2014

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है यह कि प्रार्थीया/अपीलांट ने अपनी खरीदशुदा भूमि खसरा नं. 666, 668 किता 2 कुल रकबा 2.00 है0 में से हि0 1/6 व भूमि खसरा नं. 672 रकबा 1.96 है9 में से स्वयं का हिस्सा 1/12 में से 9/672 यानि संपूर्ण हिस्सा 9/102 का बेचान रेस्पो. सं. 2 को जरिये विकय पत्र भूमि विकय की थी। रेस्पो. सं. 2 ने रेस्पो. सं. 1 व 3 से साजिश कर अस्पष्ट ना.करण सं. 264 दिनांक 24.09.03 को रेस्पो. सं. 3 से भरवाया जाकर दिनांक 20.10.03 को रेस्पो. सं. 1 से तस्दीक करवाया जाकर प्रार्थी/अपीलांट की खातेदारी भूमि के खाता सं. 52 के खसरा नं. 670 रकबा 0.74 है0, 671 रकबा 0.01 है0, 672 रकबा 1.96 है0, 673 रकबा 1.30 है0, 674 रकबा 0.01 है0, 675 रकबा 0.48 है0, 677 रकबा 0.030 है0, 395 रकबा 0.30 है0, 696 रकबा 0.54 है0 किता 9 कुल रकबा 5.37 है0 की संपूर्ण भूमियों को रेस्पो. सं. 2 ने अपने नाम करवा ली जबकि अपीलांट ने खाता संख्या 52 में से खसरा नं. 672 रकबा 1.96 है0 में से हिस्सा 1/6 में से 9/17 यानि संपूर्ण में से 9/102 हिस्साकी ही भूमि विकय की थी इसलिए उक्त ना.करण विकय पत्र से भिन्न रूप से रेस्पो. सं. 1 ता 3 साजशी दस्तावेज होने के कारण अस्तित्व में रहने योग्य नहीं है जो निरस्त होने योग्य है क्योंकि उक्त ना.करण विकय पत्र से भिन्न होने के कारण अपीलांट की अन्य खातेदारी की भूमियों को प्रभावित करने के कारण खारिज होने योग्य है। रेस्पो. सं. 2 ने रेस्पो. सं. 3 से साजिस कर ना.करण सं. 264 के कॉलम सं. 9 में अपीलांट का शेष बचा हिस्सा दर्ज नहीं किया तथा न ही कॉलम संख्या 14 में विकय पत्र में तथ्यों का उल्लेख किया तथा अपीलांट को हैरान परेशान करने के लिए उक्त साजशी ना.करण अपीलांट की भूमि खसरा नं. 672 के सम्बन्ध में विकय पत्र से खिलाफ राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण खारिज होने योग्य है। ना.करण सं0 264 विकय पत्र के अनुसार स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है जिसके कारण प्रार्थीया/अपीलांट की खातेदारी दूषित हुयी है इसलिए उक्त ना.करण

अस्तित्व में रहने योग्य नहीं है। दिनांक 11.08.2014 को कम्प्यूटर से जमाबंदी की नकल लेने पर उक्त खातेदारी की जानकारी होने के कारण दिनांक 11.08.2014 को ही पटवारी हल्का कुली से ना.करण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जिसके कारण अपील अन्दर मियाद पेश है। ना.करण ग्राम पंचायत, कुली द्वारा तस्दीक होने के कारण माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से अपील का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर ना.करण सं. 264 दिनांक 20.10.2003 बतस्दीक ग्राम पंचायत, कुली को निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है। अपील के समर्थन में ना.करण सं. 264 की प्रति, विकय पत्र की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी की प्रति पेश की गई।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पा. सं. 1 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पो. सं. 2 की ओर से वकील श्री हरदेवाराम सुण्डा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।

3. उभय पत्र के योग्य अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थीनी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थीनी तुलसी द्वारा विकय पत्र दिनांक 15.07.2003 के द्वारा ग्राम कुली की भूमि खसरा नं. 666, 668 किता 2 कुल रकबा 2.00 है0 में मेरे हिस्से 1/6 संपूर्ण का बेचान एवं ख.नं. 672 रकबा 1.96 है0 में मेरे हिस्से 1/6 में से हिस्सा 9/17 का बेचान यानि संपूर्ण में से हि0 9/102 का बेचान इस प्रकार कुल 0.51 है0 भूमि का बेचान किया गया। अपीलांट की खातेदारी भूमि के खाता सं. 52 के खसरा नं. 670 रकबा 0.74 है0, 671 रकबा 0.01 है0, 672 रकबा 1.96 है0, 673 रकबा 1.30 है0, 674 रकबा 0.01 है0, 675 रकबा 0.48 है0, 677 रकबा 0.030 है0, 395 रकबा 0.30 है0, 696 रकबा 0.54 है0 किता 9 कुल रकबा 5.37 है0 की संपूर्ण भूमियों को रेस्पो. सं. 2 ने अपने नाम करवा ली जबकि अपीलांट ने खाता संख्या 52 में से खसरा नं. 672 रकबा 1.96 है0 में से हिस्सा 1/6 में से 9/17 यानि संपूर्ण में से 9/102 हिस्सा की ही भूमि विकय की थी। ना.करण के आधार पर जमाबंदी के नोट में गलत अंकन किया गया जो वर्तमान जमाबंदी में भी अंकन चल रहा है। इसलिए उक्त ना.करण विकय पत्र से भिन्न रूप से अंकन हुआ है। अतः ना.करण सं. 264 निरस्त किये जाने योग्य है। इसके विपरीत वकील रेस्पो. ने बहस के दौरान कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा ना.करण सं. 264 के कॉलम सं. 16 में सही इन्द्राज किया गयाा है लेकिन कॉलम सं. 9 में मुताबिक विकय पत्र का अंकन सहवन से किये जाने का छूट गया जिसके कारण नवीन जमाबंदी में गलत इन्द्राज हो गया जो सही इन्द्राज होना न्यायोचित है।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। विलम्ब को कंडोन करने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम हेतु आवेदन मय शपथ पत्र पेश किये जाने पर एतराज व्यक्त नहीं किया गया इसलिए आवेदन मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्बर को कन्डोन किया जाने का आदेश दिया जाता है। अपीलार्थीनी तुलसी द्वारा विकय पत्र दिनांक 15.07.2003 के द्वारा ग्राम कुली की भूमि खसरा नं. 666, 668 किता 2 कुल रकबा 2.00 है0 में मेरे हिस्से 1/6 संपूर्ण का बेचान एवं ख.नं. 672 रकबा 1.96 है0 में मेरे हिस्से 1/6 में से हिस्सा 9/17 का बेचान यानि संपूर्ण में से हि0 9/102 का बेचान इस प्रकार कुल 0.51 है0 भूमि का बेचान किया गया। अपीलांट ने खाता संख्या 52 में से खसरा नं. 672 रकबा 1.96 है0 में से हिस्सा 1/6 में से 9/17 यानि संपूर्ण में से 9/102 हिस्सा की ही भूमि विकय की थी। ना.करण के आधार पर जमाबंदी के नोट में गलत अंकन किया गया जो वर्तमान जमाबंदी में भी अंकन चल

रहा है। इसलिए उक्त ना.करण से भिन्न रूप से अंकन हुआ है जिससे जमाबंदी में भी गलत इन्द्राज हुआ है। अतः ना.करण सं. 264 निरस्त किये जाने से ही जमाबंदी में सही अंकन हो पायेगा। उपरोक्त विवरण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाने योग्य है एवं ना.करण सं. 264 खारिज किया जाकर पुनः ना.करण भरा जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलार्थीनी स्वीकार की जाकर विवादित ना.करण सं. 264 दिनांक 20.10.2003 बतस्दीक ग्राम पंचायत, कुली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर खारिज किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, दांतारामगढ को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुताबिक विक्रय पत्र दस्तावेज सं. 673 दिनांक 15.07.2003 के मुताबिक ना.करण भरवाकर तस्दीक करावें एवं राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें।

5. यह निर्णय आज दिनांक 27.11.2014 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ